



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली कायमगंज

दिनांक - 25.04.2026

कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 113/26 धारा 191(2)/191(3) /190 /125/109 बीएनएस व 3/25/35 आयुध अधिनियम में नामजद/संबंधित 04 अभियुक्तगण को 01 रिवाल्वर 32 बोर, 59 जिन्दा कारतूस 32 बोर व 02 खोखा कारतूस 32 बोर, 04 शस्त्र लाइसेंस तथा 12 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 10 जिन्दा कारतूस 12 बोर व 02 स्कार्पियों के साथ किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण व नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 113/26 धारा 191(2)/191(3)/190/125/109 बीएनएस व 3/25/35 आयुध अधिनियम में नामित अभियुक्त 01. पुरुषोत्तम सक्सेना उर्फ मल्लू पुत्र सुखनन्दन व प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01- दीपू परिहार पुत्र स्व0 गेंदालाल 02-प्रदीप कुमार पुत्र अमर सिंह 03-कुलदीप गौतम पुत्र श्रीप्रकाश को 02 स्कार्पियो गाडी सहित गिरफ्तार किया गया दोनों स्कार्पियों वाहनों के डैसबोर्ड से क्रमशः पहली गाडी से 01 रिवाल्वर मय 59 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 32 बोर, 02 शस्त्र लाइसेंस तथा 05 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 04 जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा दूसरी गाडी से 07 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 06 जिन्दा कारतूस 12 बोर, दो अदद शस्त्र लाइसेंस बरामद कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।



## गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01. पुरुषोत्तम सक्सेना उर्फ मल्लू पुत्र सुखनन्दन निवासी नया पाठकपुरा, कोतवाली उरई जनपद जालौन ।
02. दीपू परिहार पुत्र स्व0 गेंदालाल निवासी नया पाठक पुरा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन ।
03. प्रदीप कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम अकोड़ी थाना एट जनपद जालौन ।
04. कुलदीप गौतम पुत्र श्रीप्रकाश निवासी अकनीवा थाना नदीगाँव जनपद जालौन ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण** – वादी श्री राहुल कुमार पुत्र शिवसन्त कुमार निवासी मो0 बाजार कला थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ द्वारा प्रा0 पत्र बाबत् एक राय होकर हर्ष फायरिंग करने से वादी के भाई गौरव कुमार द्वारा मना करने पर वादी के भाई गौरव कुमार पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर देना जिससे वादी का भाई गम्भीर रूप से घायल हो जाने के सम्बंध में प्राप्त हुआ था। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 24.04.2026 को मु0अ0सं0 113/26 धारा 191(2)/191(3)/190/125/109 बीएनएस बनाम 01.पुरुषोत्तम सक्सेना उपरोक्त व 06 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

**पूछताछ का विवरण:-** अभियुक्त गण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग दिनांक 23.04.2026 को परमानन्द जी की बगीची पटवन गली कायमगंज जनपद फतेहगढ में शादी समारोह में आये थे, जहाँ हम लोगों के द्वारा हर्ष फायरिंग की जा रही थी तभी गौरव कुमार द्वारा हर्ष फायरिंग करने से मना किया गया था तो हम लोगों में इसी बात लेकर विवाद हो गया था तो हमने फायर कर दिया था और जैसे ही गौरव उपरोक्त को गोली लगी तो हम लोग अपने घर भाग गये थे। मुकदमा लिखने की खबर पर समझौते का दबाब बनाने के लिये हम लोग आये थे कि पुलिस ने पकड़ लिया। साहब हम लोगों से गलती हो गयी माफ कर दीजिये। शेष सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया गया

**अभियुक्त पुरुषोत्तम सक्सेना उर्फ मल्लू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-**

- 01-मु0अ0सं0 1630/19 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना उरई जनपद जालौन।
- 02-मु0अ0सं0 683/18 धारा 323/504/506 भादवि0 कोतवाली उरई जनपद जालौन।
- 03-मु0अ0सं0 1936/15 धारा 3 गुण्डा अधिनियम कोतवाली उरई जनपद जालौन।
- 04-मु0अ0सं0 1767/15 धारा 328/329 भादवि0 कोतवाली उरई जनपद जालौन।
- 05-मु0अ0सं0 221/13 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम कोतवाली उरई जनपद जालौन।
- 06- मु0अ0सं0 1947/12 धारा 307/323/504/506 भादवि0 कोतवाली उरई जनपद जालौन।
- 07-मु0अ0सं0 1757A/09 धारा 25/27 आयुध अधिनियम कोतवाली उरई जनपद जालौन।
- 08-मु0अ0सं0 1754/09 धारा 307 भादवि0 कोतवाली उरई जनपद जालौन।
- 09-मु0अ0सं0 807/08 धारा 392/411/120बी भादवि0 कोतवाली उरई जनपद जालौन।
- 10-मु0अ0सं0 1349/08 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट कोतवाली उरई जनपद जालौन।
- 11- मु0अ0सं0 293/04 धारा 2/3 गुण्डा अधि0 कोतवाली झांसी जनपद झांसी।
- 12-मु0अ0सं0 1461/03 धारा 379/411 भादवि0 कोतवाली झांसी जनपद झांसी।
- 13-मु0अ0सं0 1508/03 धारा 25 आयुध अधि0 कोतवाली झांसी जनपद झांसी।
- 14-मु0अ0सं0 1389/03 धारा 394 भादवि0 थाना नवाबाद जनपद झांसी।
- 14- मु0अ0सं0 113/26 धारा 191(2)/191(3)/190/125/109 बीएनएस व 3/25/35 आयुध अधिनियम।

**अभियुक्त दीपू परिहार उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-**

- 01.मु0अ0सं0 113/26 धारा 191(2)/191(3)/190/125/109 बीएनएस व 3/25/35 आयुध अधिनियम।

**अभियुक्त प्रदीप कुमार उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-**

02.मु0अ0सं0 113/26 धारा 191(2)/191(3)/190/125/109 बीएनएस व 3/25/35 आयुध अधिनियम कोत0 कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।

**अभियुक्त कुलदीप गौतम उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-**

03.मु0अ0सं0 113/26 धारा 191(2)/191(3)/190/125/109 बीएनएस व 3/25/35 आयुध अधिनियम कोत0 कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।

**अभियुक्त गण के कब्जे से बरामदगी का विवरण-**

01- एक रिवाल्वर 32 बोर

02- 59 जिन्दा कारतूस 32 बोर

03- 02 खोखा कारतूस 32 बोर

04- 04 शस्त्र लाइसेंस

05- 12 जिन्दा कारतूस 315 बोर

06- 10 जिन्दा कारतूस 12 बोर

07- 02 स्कार्पियो माल मुकदमाती 01- UP 93 AV 7937(रंग काला) 02- UP 92 S 5105(रंग सफेद)

**गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-**

01. प्र0नि0 विनोद कुमार शुक्ल

02. उ0नि0 अंकुर भाटी,

03. उ0नि0 ज्ञान प्रकाश पाण्डेय

04. हे0का0 धर्मेन्द्र तिवारी

05. हे0का0मुकेश कुमार

06.का0 सुरेश

07.का0अंकित पंवार

08. का0 सचिन

09.का0 विजय कुमार

**मीडिया सेल फतेहगढ़ ।**